



चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश
(आवेदक इन निर्देशों को अपने पास रख लें)

- 1. आवेदन—पत्र शुल्कः—** अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन—पत्र शुल्क को कार्यालय में जमा करावें।
- 2. आवेदन—पत्र भरना—** आवेदक आवेदन—पत्र भरने से पूर्व इन निर्देशों एवं विज्ञापन को ध्यान पूर्वक पढ़ें। इनमें दी गई सूचना एवं निर्देशों का अनुपालन न करने पर आवेदन—पत्र अस्वीकृत किया जा सकता है।
नोट :-आवेदक आवेदन—पत्र स्वयं के हस्तलेख में भरें। आवेदन—पत्र निर्देशानुसार व बिना किसी प्रकार की काट—छाँट के भरा जाए। प्रत्येक कॉलम में चाही गई सूचना पूर्ण एवं स्पष्ट हो। सभी उत्तर शब्दों या अंकों में दिए जाएं, रेखा या बिन्दु के द्वारा नहीं। कोई आवश्यक कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाए, अन्यथा आवेदन—पत्र अपूर्ण मानकर रद्द किया जा सकता है। आवेदक के हस्ताक्षर रहित आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे। आवेदन—पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि के सुधार हेतु प्रार्थना—पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्त आवश्यक (जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि) विशेष छूट या लाभ के दावे (जैसे आयु सीमा में छूट की हकदारी आदि) सम्बन्धी प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ आवेदन—पत्र के साथ संलग्न कर अवश्य भेजें। आवेदन पत्र पर अपना पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो (विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात् का खिंचा हुआ) निर्धारित स्थान पर संलग्न कर पूर्ण हस्ताक्षर सहित लगाएं। आवेदक द्वारा किसी भी अवश्य में एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन—पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए। आवेदक द्वारा विधिवत् भरा हुआ निर्धारित आवेदन—पत्र, नवीनतम फोटो, आदि के साथ कार्यालय में निर्धारित तिथि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्धारित दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन—पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदक को सुविधा व सुलभ संवर्ध हेतु भरे हुए आवेदन—पत्र की फोटो प्रति रख लेनी चाहिए।
- 3. प्रमाण—पत्रः—** समस्त आवश्यक व वांछनीय प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ (शैक्षणिक / आयु / आचरण / जाति / निःशक्तता, वैवाहिक स्थिति, भुतपुर्व सैनिक, एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण—पत्र आदि) इस विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ संलग्न कर भेजना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पात्र पद या वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा और न ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा। प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ निम्न क्रमानुसार आवेदन—पत्र के साथ संलग्न करें—
 - (क) योग्यता सम्बन्धी प्रमाण—पत्रः— (1) आपको अपनी शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता की अंक—तालिकाओं के साथ—साथ प्रमाण—पत्रों / उपाधियों की स्वहस्ताक्षरित प्रतिलिपियाँ भेजनी होगी। यदि किसी परीक्षा, जो आपने उत्तीर्ण की है, की उपाधि प्राप्त नहीं हो, तो संरथा / विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रोविजनल प्रमाण—पत्र संलग्न करें।
 - नोट:-यदि आवेदक पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है और उसकी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्प्रीति हुआ या होने वाला है, तो इसका स्पष्ट उल्लेख संबंधित कॉलम में करें तथा संस्था प्रधान से प्रपत्र—३ प्रमाणित करवाकर संलग्न करें।
- (ख) आयु का प्रमाण—पत्र—
 - (1) साधारणतया बोर्ड हाई स्कूल / सैकण्डरी / हायर सैकण्डरी के प्रमाण—पत्र में दी हुई जन्म दिनांक के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है। अतः आवेदक को चाहिए कि वह अपने हाई स्कूल / सैकण्डरी / हायर सैकण्डरी प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें उसकी जन्म दिनांक का उल्लेख हो, फार्म के साथ संलग्न करें। यदि किसी आवेदक ने इन परीक्षाओं को पास नहीं किया है तो उस हालात में बोर्ड विद्यालय के प्रमाण—पत्र में उल्लिखित जन्म दिनांक को स्वीकार कर सकता है। इसके लिये आवेदक को चाहिये कि वह अपने विद्यालय के प्रमाण—पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें जिसमें कि उसकी जन्म दिनांक के बारे में उल्लेख हो तथा राज्य कर्मचारी अपनी सेवा पुरित्का में दी हुई आयु को प्रमाणित कराकर उद्धृत कर सकता है।
 - (2) यदि आप निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक आयु के हैं और आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो विज्ञापन में दिये गये आयु संबंधी जिस उपबन्ध के अन्तर्गत छूट चाहते हैं उस आशय का, यथा राजस्थान सरकार के स्थाई कर्मचारी / आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / विशेष योग्य व्यक्ति आदि का स्पष्ट प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र के साथ भेजें, अन्यथा इसके अभाव में आयु सीमा में छूट के प्रावधान का लाभ नहीं दिया जा सकेगा।

आयु संबंधी सामान्य नियम

1. आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
2. किसी वर्ग विशेष में निर्धारित छूट उस वर्ग विशेष के लिए रिक्ति में आरक्षित पद विद्यमान होने पर ही प्रदान किये जाएंगे।
3. यदि किसी पद में महिला वर्ग के लिए रिक्ति नहीं है, तो उसे केवल उस पद / वर्ग के लिए निर्धारित सामान्य छूट ही प्रदान की जाएगी। अर्थात् उसे उस वर्ग में पुरुष को देय छूट के अनुरूप ही छूट दी जाएगी।
4. आयु की गणना सामान्यतः विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन लेने के अगले वर्ष 1 जनवरी को की जाएगी।
5. उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 4 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी(Non Cumulative) है, अर्थात्

अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

6. यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष विशेष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था, तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा, यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है। (यह छूट विज्ञाप्ति में उल्लिखित होने पर ही मान्य)

(ग) आचरण संबंधी प्रमाण—पत्र :— अभ्यर्थी आवश्यकतानुसार अंतिम शिक्षण संस्था के आचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र की सत्य प्रतिलिपि संलग्न करें—

नोट:— स्थाई राज्य कर्मचारी को चरित्र संबंधी प्रमाण—पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है लेकिन इसके बदले में स्थाई राज्य कर्मचारी होने का प्रमाण—पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, संलग्न करें।

(घ) जाति प्रमाण—पत्र :— जो आवेदक राजस्थान की किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के हों, उन्हें चाहिए कि वे इसके प्रमाण स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में निम्न अधिकारियों में से किसी एक अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें जो कि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व और नवीनतम जारी हो, अन्यथा अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा :—

- District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/ Deputy Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/ City Magistrate/ Sub-Divisional Magistrate/ Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner. (Not below the rank of Ist Class Stipendiary Magistrate).
- Chief presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
- Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
- Administrator/Secretary to Administrator/ Development Officers (Lakshadeep Island).

(अ) सभी आरक्षित वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र विस्तृत आवेदन—पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है, अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण—पत्र मान्य नहीं है।

(ब) जो आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, वे उक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण के संबंध में यह भी सुनिश्चित कर लें कि

- निवास स्थान एवं कीमीलेयर/नॉन कीमीलेयर की प्रविष्टियां निर्धारित प्रपत्र पर सही—सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।
- क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थी हेतु निर्धारित पद व आवेदन—पत्र पर आवेदन करना होगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रमाण—पत्र नवीनतम होना चाहिए। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि तक संबद्ध वर्ग में होना चाहिए।
- प्रमाण पत्र नियमानुसार माता—पिता की आय के आधार पर (विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी माता—पिता की आय के आधार पर) सक्षम अधिकारी द्वारा राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो।

(ड.) विशेषयोग्य प्रमाण—पत्र:— यदि आवेदक विशेषयोग्य व्यक्ति (Disabled Person) की श्रेणी में आता है, वह इसके प्रमाण में राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त 40% या इससे अधिक विशेषयोग्य का प्रमाण—पत्र संलग्न कर अवश्य भेजें, अन्यथा उसे विशेषयोग्य व्यक्ति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। आवेदक निःशक्तता श्रेणी अनुसार निम्न कोड भरें—

विशेषयोग्य श्रेणी	दृष्टिबाधित (A)				मूक बधिर (B)		LD/CP (C)						MI/MD (D)
	पूर्णतः अंध	अंशतः अंध	कमजोर दृष्टि	पूर्णतः अंशतः	दोनों पैर	दोनों हाथ	हाथ पैर दोनों	एक पैर	एक हाथ	दोनों नितंब	मांसपेशीय दुर्बलता		
विशेषयोग्य कोड	01	02	03	01	02	01	02	03	04	05	06	07	

(च) अनुभव संबंधी प्रमाण—पत्र :— आप यदि कार्यरत हैं/थे, तो उसके प्रमाण में विभिन्न पदों पर कार्य करने का दिनांक सहित प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में वांछित अनिवार्य अनुभव, यदि कोई हो तो उसके सम्बन्ध में चाहा गया स्पष्ट प्रमाण—पत्र आवेदन—पत्र के साथ संलग्न कर भेजें।

(छ) विवाह संबंधी प्रमाण—पत्र :— आप यदि विवाहित हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करें और यदि तलाकशुदा हैं तो भी इस सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करें। यदि आवेदक का विवाह राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है या अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व सम्पन्न होने के कारण पंजीकरण से छूट चाहता है, तब भी वह इस हेतु पूर्ण विवरण सहित अपना शपथपत्र प्रस्तुत करें।

4. सेवारत अभ्यर्थी— जो आवेदक सेवारत है (स्थाई हो या अस्थाई) उन्हें अपना आवेदन—पत्र सीधे ही कार्यालय को भेजना चाहिए और इस सम्बन्ध में अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष को अवश्य सूचित कर दें। यदि कोई आवेदक अपना आवेदन—पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी/विभागाध्यक्ष के माध्यम से भेजता है और वह कार्यालय में आवेदन—पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक के बाद पहुंचता है तो उस प्रार्थना—पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। भले ही आवेदक ने प्रार्थना—पत्र अपने नियुक्ति अधिकारी को अन्तिम दिनांक के पहले ही प्रस्तुत किया हो।

5. राष्ट्रीयता :- (क) भारत का नागरिक या (ख) सिविकम या (ग) नेपाल या (घ) भूटान का प्रजाजन या (ङ.) दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आये तिब्बती शरणार्थी या (च) स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का टंगानिका और जंजीबार) इन देशों से आये भारत के मूल व्यक्ति। नोट:- वर्ग (ग), (घ), (ङ.) व (च) से सम्बन्धित प्रार्थियों को संबंधित सेवा नियमों के अन्तर्गत भारत—सरकार द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

6. प्रत्येक प्रार्थी का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है और उसे किसी प्रकार की चिकित्सकीय परीक्षण हेतु तत्पर रहना होगा जो कि नियुक्ति करने वाला अधिकारी उचित समझें।

7. किसी भी प्रार्थी को इस प्रकार का परामर्श नहीं देगा कि वह किसी पद या राजकीय सेवा के लिये योग्य है या नहीं। ऐसे प्रश्नों यथा— आशु, शिक्षा, नागरिकता, निवास स्थान आदि के विषयों में प्रार्थी रखयं विज्ञप्ति के साथ संबद्ध सेवा नियमों व राजकीय आदेशों में विस्तृत विवरण देख लें कि वे उसके अनुसार योग्यता रखते हैं या नहीं।

8. आवेदक को उसके आवेदन—पत्र के अन्तिम परिणाम को चाहे उसका चयन किया गया हो अथवा नहीं, उचित समय पर सूचना दे दी जाएगी। इस हेतु पृथक से प्रयत्न करना आवश्यक नहीं है। यदि इस संबंध में कोई पत्र—व्यवहार किया गया तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

9. यदि आवेदक किसी भी स्रोत या साधन द्वारा आवेदन प्रभावित करेगा, तो उसे तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

10. उक्त रिक्ति व नियुक्ति नियमों व शर्तों के अधीन है और उनके अन्तर्गत निरस्त की जा सकती है।

11. यदि कोई आवेदक जानबूझ कर असत्य बात लिखेगा या कोई तथ्यपूर्ण बात छिपाएगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जाएगा और यदि राज्य सेवा में है, तो सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

12. यदि आवेदक के पते में परिवर्तन हो तो कार्यालय को अवश्य सूचित करें। कार्यालय द्वारा परिवर्तित पते का ध्यान रखा जाएगा फिर भी परिवर्तित पते पर पत्र मंगवाने की व्यवस्था के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

13. किसी सेवा विशेष में आवश्यकता होने पर सेवा प्राथमिकता कम, अनुभव या खेल भार हेतु अतिरिक्त प्रपत्र भरवाये जा सकते हैं, इसके लिये संबद्ध विज्ञप्ति का अवलोकन कर लें।



कार्यालय प्रविष्टि	आवेदन प्राप्ति की तिथि :-	प्राप्ति क्रमांक :-
--------------------	---------------------------	---------------------

प्रपत्र-1

विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र
(आवेदक द्वारा दो प्रतियों में भरा जाए)

आवेदक का
हस्ताक्षरयुक्त
नवीनतम फोटो

रोल नम्बर	आवेदन पत्र क्रमांक (ऑनलाइन आवेदनपत्र का)	मेरिट क्रमांक (केवल अंतिम परिणाम हेतु)	
विज्ञापन संख्या	पद कोड / क्रम संख्या	पद का नाम	विभाग का नाम

आरक्षण वर्ग

सामान्य	आर्थिक रूप से कमज़ोर	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	जनजातिय क्षेत्र के		बारों जिले के किशनगंज शाहाबाद तहसील के सहरिया
						एस.सी.	एस.टी.	

मूल निवास व जन्म स्थान

	राज्य	जिला	तहसील	अन्य टिप्पणी
मूल निवास				
जन्म स्थान				

अतिरिक्त विशेष श्रेणी (आवेदक संबंधित कॉलम में 'हाँ' अंकित करें। शेष कॉलम में "X" का चिन्ह अंकित करें:-

महिला		विशेषयोग्यजन (निर्देशिकानुसार कोड भी अंकित करें)					भूतपूर्व सेनिक	उत्कृष्ट खिलाड़ी	एन.सी. सी. (सी. सर्ट.)	MI/MD
अविवाहित	विवाहित	विधवा	विच्छिन्नविवाह	दृष्टिहीन/ अल्पदृष्टि	मूक बधिर	अस्थिविकृत, एल.डी./ सी.पी				

सेवारत कर्मचारी

राज्य सेवा कर्मचारी	पंचायती राज / सार्वजनिक निगम	विभागीय कर्मचारी	अराजपत्रित कर्मचारी	मंत्रालयिक कर्मचारी	

1. आवेदक का पूरा नाम :

- (क) हिन्दी में : श्री / श्रीमती / कुमारी
(ख) अंग्रेजी में (ब्लॉक लेटर्स में): Mr. / Mrs. / Miss

2. (अ) पिता का नाम : (ब) माता का नाम :

3. आवेदक की जन्म तिथि : / / 4. विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु : वर्ष माह दिन

5. नागरिकता :- भारतीय / अन्य 6. धर्म :-

7. वैवाहिक स्थिति	अविवाहित	विवाहित	विच्छिन्नविवाह परित्यक्ता	विधवा	विधुर	पुनर्विवाहित

8. विवाह विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) :

पति/पत्नी का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	पंजियन संख्या	पंजियन स्थान	पंजियन अधिकारी

9. सन्तान विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) :

क्र.स.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक	क्र.स.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म दिनांक
1			4		
2			5		
3			6		

10. कुल सन्तान संख्या	1.06.2002 से पूर्व :-	1.06.2002 से पश्चात :-
------------------------------	-----------------------	------------------------

11. पत्र-व्यवहार का पता (मय फोन/ मोबाइल नम्बर) :

12. स्थाई निवास का पूरा पता :

13. (अ) शैक्षणिक योग्यता :-

परीक्षा, जो उत्तीर्ण की है	परीक्षा, जो उत्तीर्ण की है का नाम	प्राप्तांक कुल अंक	प्राप्तांकों का प्रतिशत	श्रेणी / ग्रेड	वर्ष	ऐचिक विषय	कोर्स की अवधि	रोल नम्बर	बोर्ड/विश्व-विद्यालय का नाम	रोल नम्बर क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
मैट्रिक/ हाईस्कूल / सैकंडरी										
हायर सैकंडरी/ सी. सैकंडरी/ इंटर										
स्नातक (बी.ए./बी. कॉम/बी.एस.सी. या अन्य)										
अधिस्नातक (एम.ए./एम. कॉम/एम.एस.सी. या अन्य)										
डिप्लोमा										
अन्य कोई उपाधि										

(ब) इन्टर्नशिप (यदि लागू हो) :- वर्ष माह दिन

14. रजिस्ट्रेशन विवरण (यदि लागू हो) :- (मेडिकल/पैरामेडिकल काउंसिल/राजस्थान नर्सिंग काउंसिल/.....)

संस्था का नाम	रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की दिनांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	रजिस्ट्रेशन की दिनांक	मान्यता अवधि	विशेष विवरण

15. पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण (यदि उक्त पद हेतु विज्ञप्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो):-

विभाग / संस्था का नाम	संस्था का पंजीयन संख्या	पद जिस पर कार्य किया	अनुभव अवधि दिनांक से दिनांक तक	विशेष विवरण
कुल अनुभव				

16. अतिरिक्त विस्तृत सूचना :-

(1) यदि आपने पूर्व की सूचना (क्र.सं.15) से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत हैं, तो उसका पूरा विवरण नीचे लिखें :-

पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पदनाम एवं विभाग	पद ग्रहण करने की दिनांक	पद छोड़ने की दिनांक	स्थाई/अस्थाई/संस्थाई	वेतनमान एवं मूल वेतन	संलग्नक संख्या

(2) यदि आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं, तो प्रमाण सहित संबद्ध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी हैं। (संलग्नक संख्या)

(3) यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता/अनुभव/पुरस्कार/पदक/विजय चिह्न प्राप्त किया हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें। (संलग्नक संख्या)

(4) यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोधपत्र प्रकाशित हो, जो कि इस पद के चयन में सहायक हो, तो उसका पूर्ण विवरण दें। (संलग्नक संख्या)

(5) यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दण्डित/पदच्युत/ब्लैकलिस्ट/विवर्जित किया गया हो, तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं उसके कारण का उल्लेख करें।

विभाग	पद / परीक्षा का नाम	वर्ष	कारण

—: आवेदक द्वारा शपथयुक्त घोषणा :-

मैं एतद द्वारा शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन—पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सम्पूर्ण हैं। मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि इस आवेदन—पत्र में दी गई कोई सूचना झूठी या गलत पाई जाए, तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है। मैंने उपबन्धों/नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

* मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि मैं इस पद/परीक्षा के लिए आवेदन कर रहा/रही हूँ।

* मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे दिनांक 1-6-02 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं/नहीं हैं।

* जो लागू ना हो तो उसे काट दें।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

संलग्नक सूची प्रपत्र-2			
क्रम संख्या	संलग्न अभिलेख विवरण (स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति)	जारी क्रमांक व दिनांक	संलग्नक संख्या
1.	अंकपत्र— मैट्रिक / हाई स्कूल / सैकण्डरी		
2.	उपाधि/प्रमाणपत्र— मैट्रिक / हाई स्कूल / सैकण्डरी		
3.	अंकपत्र— हायर सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी / इन्टरमीडिएट		
4.	उपाधि/प्रमाणपत्र—हायर सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी/इन्टरमीडिएट		
5.	अंकपत्र स्नातक — (बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.ई./बी.टैक./.....)		
6.	उपाधि/प्रमाणपत्र स्नातक — (बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी./बी.ई./बी.टैक./.....)		
7.	अंकपत्र अधिस्नातक — (एम.ए/एम.कॉम/एम.एससी./एम.टैक/.....)		
8.	उपाधि/प्रमाणपत्र अधिस्नातक — (एम.ए/एम.कॉम/एम.एससी./एम.टैक/.....)		
9.	अंकपत्र डिप्लोमा		
10.	उपाधि/प्रमाणपत्र डिप्लोमा		
11.	अनुभव प्रमाणपत्र —		
12.	मूल निवास/विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र		
13.	जाति प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग /अति पिछड़ा वर्ग)		
14.	अन्य प्रमाणपत्र —		
15.			
16.			

-: कार्यालय टिप्पणी :-

आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया / निम्न कमी पाई गई (यदि कमी है तो कमी का स्पष्ट विवरण लिखें).....

.....

.....

हस्ताक्षर मय दिनांक

नाम :.....

पदनाम :.....

-: शिक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र :- प्रपत्र-3

(आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तिर्ण नहीं है, किन्तु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ/हो रहा है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र श्री.....
निवासी.....जो कि पद के लिए
विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथितक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता..... के
अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम/परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है।

आवेदक के हस्ताक्षर

संस्था प्रधान/राजपत्रित अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

—: अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेक लिस्ट :—

प्रपत्र-4

संबद्ध सूचना		अभ्यर्थी संबद्ध कॉलम में टिक करें	कार्यालय हेतु
1. शैक्षणिक योग्यता			
i	अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न, किन्तु समकक्ष
ii	अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त था या उसके बाद प्राप्त किया है	आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त	आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त
iii	यदि अभ्यर्थी आवेदन के समय अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था, तो क्या आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था?	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित	अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम की परीक्षा में सम्मिलित नहीं
iv	क्या अभ्यर्थी अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण है?	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण	परीक्षा की तिथि तक उत्तीर्ण नहीं

2. श्रेणी/वर्ग			
i	अभ्यर्थी आवेदन व प्रवेशपत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में?	उसी श्रेणी में	भिन्न श्रेणी में
ii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या वह आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी आरक्षित श्रेणी में आ चुका था या उसके बाद सम्मिलित हुआ था?	आवेदन की तिथि से पूर्व	आवेदन की तिथि के पश्चात्
iii	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, तो क्या उसने राजस्थान का मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	राजस्थान का मूल निवासी है	राजस्थान का मूल निवासी नहीं है
iv	टी.एस.पी. एरिया के निवास संबंधी (केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू)		
v	यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है, किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है, तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है?	हाँ	नहीं

3. अनुभव			
i	यदि परीक्षा में कोई अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	शैक्षणिक योग्यता के उपरान्त	शैक्षणिक योग्यता से पूर्व
ii	अनुभव संबंधी योग्यता निर्धारित है, तो अभ्यर्थी ने उसका अर्जन आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त किया है या उससे पूर्व?	आवेदन की अंतिम तिथि के उपरान्त	आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व
iii	अनुभव संबंधी योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किन्तु समकक्ष है।	सर्वथा अनुरूप	उससे भिन्न, किन्तु समकक्ष

4. आयु			
i	अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है?	वर्ष माह दिन	
ii	विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा		न्यूनतम.....अधिकतम:-.....
iii	अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस-किस श्रेणी में मानता है?	क्र.सं	

—: अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों/वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान :-

क्र.स.	अभ्यर्थियों का वर्ग	अधिकतम आयु में देय छूट (वर्षों में)	अभ्यर्थी टिक करे	कार्यालय हेतु
1	राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष			
2	राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य			

	पिछड़ा / अति पिछड़ा वर्ग की महिला		
3	सामान्य वर्ग की महिला		
4	विधवा एवं विछिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं	
5	राजस्थान राज्य के कारोबार में संरथाई (Substantive) रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संरथाई रूप सेवारत	अधिकतम आयु सीमा	
6	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिक (अधीनस्थ सेवा हेतु)	अधिकतम आयु सीमा	
7	भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट (प्रतिरक्षा सेवा के वे कर्मचारी, जिनको रिजर्व में स्थानान्तरित कर दिया गया हो)	अधिकतम आयु सीमा	
8	सैन्य क्रास/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारक भूतपूर्व सैनिक और रिजर्विस्ट	अधिकतम आयु सीमा	
9	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार प्राप्त थे	अवसर तक	
10	रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशाप्ट ऑफिसर्स/ शोर्ट सर्विस कमीशाप्ट ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए आयु सीमा में थे, तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा	यदि लागू हो तो अंकित करें।	
11	एन.सी.सी. कैडेट प्रशिक्षक (इन्स्ट्रक्टर्स) के मामले में अधिकतम आयु सीमा में (यदि परिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा)	उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालावधि के बराबर	
12	पूर्वी अफ्रीकी देशों के कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार से प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं	
13	सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति (अधीनस्थ सेवा हेतु)	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं	
14	भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर संरथाई (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था	कोई अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं	
15	अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में	कारावास में व्यतीत अवधि के बराबर	
16	कोई अन्य		

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :-

- आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं, जिसे संबद्ध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
- उक्त प्रावधानों में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं अर्थात् अन्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर नहीं।

परिनिरीक्षा टिप्पणी		(कार्यालय उपयोग हेतु)	
आवेदन—पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि		कार्यालय में आवेदन—प्राप्ति की तिथि	
आवेदक की श्रेणी व उपश्रेणी		आवेदक का मेरिट क्रमांक	
क्र.सं.	विवरण	हाँ	नहीं
1	क्या आवेदन—पत्र स्वहस्ताक्षरित व पूर्ण प्रविष्टियों सहित प्राप्त हुआ है?		
2	क्या हस्ताक्षरित दो फोटो निर्धारित स्थान पर चिपकाए हुए हैं?		
3	क्या आवेदक भरी गई श्रेणी (वर्ग) हेतु पात्र है?		
4	क्या आवेदक ने निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है?		
5	क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है?		
6	क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है?		

7. आयु सीमा में छूट चाहने का कारण:-

—: अभिशंखा :-

8. आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमति किया जाए:- हाँ/नहीं
9. निम्न कारणों से अस्थाई(सशर्त) रूप से चयन हेतु अनुमति किया जाए/अपात्र घोषित किया जाए:
.....
.....

हस्ताक्षर
(दस्तावेज परिनिरीक्षा अधिकारी)
मय दिनांक

नाम :.....

पदनाम :.....